बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ0सं0–6 / एन0–08–96 / 2018–.......... / पटना–15, दिनांक–..................................

विभागीय आदेश ज्ञापांक–687(6), दिनांक–26.04.2023 द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के निरीक्षणोपरान्त अध्यक्ष डा0 नवल किशोर, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के द्वारा दिनांक–13.06.2023 के माध्यम से समर्पित संयुक्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त माता वैष्णवी एजुकेशनल ट्रस्ट, भभुआ, कैमुर द्वारा संचालित राज नर्सिंग इन्स्टीच्यूट (जी0एन0एम0 स्कूल), ओदार, भभुआ, कैमुर–821108 में जी0एन0एम0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु 50 (पचास) सीटों से बढ़ाकर 100 (एक सौ) सीटों पर नामांकन क्षमता के साथ नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4(iii) के आलोक में निम्नांकित शर्तों के साथ मान्यता प्रदान किया जाता है:–

(क) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों / निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कैमूर समय–समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

(ख) नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा–निर्देश के आलोक में अपना Suitability प्राप्त कर लेंगे।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र / छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ड़) नर्सिंग संस्थान बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना / बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।

(च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना (ii) असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कैमूर तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कैमूर को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 – इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(डॉ0 अनिल कुमार तिवारी)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6 / एन0–08–96 / 2018...1661(6) पटना दिनांक 20/10/2023

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, 8वां तल्ल, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0–2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज–01, नई दिल्ली–110020 / निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना / क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना / असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कैमूर / अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– जिला पदाधिकारी, कैमूर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– विशेष कार्य पदाधिकारी, बी0सी0ई0सी0ई0बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– अध्यक्ष, राज नर्सिंग इन्स्टीच्यूट (जी0एन0एम0 स्कूल), ओदार, भभुआ, कैमुर–821108 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना

नया सचिवालय, तीसरा तल्ला, कमरा संख्या 330 (A)
बेली रोड, पटना 800 015, (बिहार)
फोन नंबर: 0612-2215001 ईमेल आई.डी.: registar.bnrc@gmail.com

सं०सं० 58/बी.एन.आर.सी./2023/........ दिनांक......../......../2023

–:: सहमति पत्र ::–

प्रेषक,

श्रीमती निर्जला कुमारी
निबंधक,
बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
राज नर्सिंग इंस्टीच्यूट(जी0एन0एम0 स्कूल),
ओदार, भभुआ, कैमूर–821108

विषय :– सहमति पत्र के संबंध में।

प्रसंग :– स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के आदेश ज्ञापांक 1661(6), दिनांक 20.10.2023.

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक–RNI/820, दिनांक 26.10.2023 के आलोक में सूचित करना है कि स्वास्थ्य निदेशालय, बिहार सरकार आदेश ज्ञापांक 1661(6), दिनांक 20.10.2023 के द्वारा आपके प्रशिक्षण संस्थान को जी0एन0एम0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु पूर्व के निर्धारित सीटों की संख्या में वृद्धि करते हुये जी0एन0एम0 पाठ्यक्रम के लिए 50(पचास) सीटों से बढ़ाकर 100(एक सौ) सीटों पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए मान्यता प्रदान की गई है।

अतः विभागीय आदेश ज्ञापांक 1661(6), दिनांक 20.10.2023 के द्वारा संबंधित संस्थान को निर्गत मान्यता की सहमति के साथ एक सत्र (2023–24) का निर्धारण किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/–
(निर्जला कुमारी)
निबंधक

ज्ञापांक–सं0सं0–58/बी.एन.आर.सी./2023 2804/स्वा0, पटना, दिनांक 30/10/2023

प्रतिलिपिः– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मिठापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)–सह–अध्यक्ष, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना, को सूचनार्थ प्रेषित।

30/10/23

निबंधक

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना–800 001 (बिहार)
Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 11/01/2024

अ.सं.:संबं0–6032(पार्ट–I)/2023–31/ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से औपबंधिक संबद्धता प्राप्त निम्नांकित महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा नामांकन क्षमता में वृद्धि हेतु प्राप्त आवेदनों पर तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक–04.01.2024 को सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित गैर–सरकारी नर्सिंग महाविद्यालयों को कॉलम सं0 4 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 7 में अंकित बढी हुई नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सत्र–2023–24 हेतु औपबंधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्त्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

Sl. No	Name of College	District	Name of Course	Existing Intake	Increase Seat	New/ Proposed Intake	Affiliation Notification No. of BUHS	Health Deptt. Approval Letter for Seat Intake	BNRC Approval Letter for Increase Seat Intake
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	9	10
1	Ambedkar College of Education	Rohtas	ANM	60	20	80	733/ 31-10-2023	1669(6) 26-10-2023	2907/ 29-11-2023
			GNM	60	20	80	733/ 30-10-2023	1669(6) 26-10-2023	2907/ 29-11-2023
2	Ambedkar Institute of Higher Education	Patna	GNM	60	40	100	733/ 31-10-2023	1670(6)/ 26-10-2023	2906/ 29-11-2023
			ANM	60	40	100	733/ 31-10-2023	1670(6)/ 26-10-2023	2906/ 29-11-2023
3	Mamta Institute of Education	Siwan	GNM	60	40	100	733/ 31-10-2023	1676(6) 26-10-2023	2905/ 29-11-2023
4	D P Singh Institute of Education	Nalanda	ANM	60	40	100	733/ 31-10-2023	1634(6) 20-10-2023	2986/ 21-12-2023
			GNM	60	40	100	733/ 31-10-2023	1634(6) 20-10-2023	2986/ 21-12-2023
5	Gautam Institute of Nursing	Nalanda	ANM	60	40	100	733/ 31-10-2023	1620(6) 20-10-2023	2985/ 21-12-2023
			GNM	60	40	100	733/ 31-10-2023	1620(6) 20-10-2023	2985/ 21-12-2023
6	Raj Nursing Institute	Kaimur	GNM	50	50	100	733/ 31-10-2023	1661(6) 20-10-2023	2804/ 30-10-2023
7	Krishana Institute of Nursing & Para Medical Sciences	Samastipur	GNM	60	40	100	733/ 31-10-2023	1618(6) 19-10-2023	2753/ 20-10-2023

नियम एवं शर्त्तें:–

1. औपबंधिक संबद्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा 8 में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
2. औपबंधिक संबद्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्त्तों के अधीन होगी।
3. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान को सत्र–2023–24 हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान सत्र–2023–24 में बिना स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त प्राप्त किए नामांकन नहीं लेंगे।
4. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।

5. किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा Apex Regulatory Body से Approved सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। Apex Regulatory Body द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में Apex Regulatory Body द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।

6. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा आवेदन के साथ Application Fee तथा Inspection-Cum-Processing Fee के रूप में निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा किया गया है, तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अविलंब निर्धारित शुल्क की राशि विश्वविद्यालय में जमा कर दें।

7. सूची में अंकित सभी महाविद्यालयों/संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Affiliation Fee और Endowment Fund की राशि विश्वविद्यालय द्वारा माँग किए जाने पर जमा करेंगे।

8. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र–छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।

9. विश्वविद्यालय/Concerned Apex Regulatory Body/बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एंव अन्य मापदण्डों की जॉच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है।

10. महाविद्यालय/संस्थान स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय/Concerned Apex Regulatory Body के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।

11. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।

12. महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत/भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य/सूचना छिपाकर औपबंधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार

विमलेश 11/01/2024.

(विमलेश कुमार झा)

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संब0–6032(पार्ट–I)/2023–31/ पटना, दिनांक 11/01/2024

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार–सह–कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख(नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सचिव, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/सभी प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

विमलेश 11/01/2024

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संब.–6032(पार्ट–I)/2023–31/ पटना, दिनांक 11/01/2024

प्रतिलिपि–प्राचार्य/निदेशक/सचिव, संबंधित नर्सिंग संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विमलेश 11/01/2024.

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संब.–6032(पार्ट–I)/2023–31/ पटना, दिनांक 11/01/2024

प्रतिलिपि–डीन(अकादमिक)/डीन(आयुष)/डीन(परीक्षा)/डीन(नर्सिंग)/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी/ कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

विमलेश 11/01/2024.

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना